(5)

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं।

उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर पंकज जोशी थावरिया बाजार पर 3000, तवंर, अशोक गेहलोत, गोपालसिंह पर 1000-1000, राजाभाई हरमाला रोड पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी पर्वत हाडे, किरण चौहान, विनय चौहान द्वारा की गई।

इन्दौर समाचार
12-8-2021

गंदगी करने पर जुर्माना वसूला

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी, जोन प्रभारी और स्पाट फाइन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर बजरंग रेस्टोरेंट, संजय लुखवानी स्टेशन रोड, संजय सोलंकी विनोबा नगर से 1000-1000, राकेश पांचाल पावर हाउस रोड, जीएस गेहलोत पूनम विहार कालोनी व जवाहर नगर में एक अन्य व्यक्ति से 500-500, विजय एंड संस माणक चौक से 250, कैलाश पाटीदार, सोहन पावर हाउस रोड से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी को भविष्य में गंदगी नहीं करने की समझाइश भी दी गई। कार्रवाई स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिह, जोन प्रभारी पर्वत हाड़े, किरण चौहान, विनय चौहान द्वारा की गई।

नई दुनिया
12-8-2021

16

अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के नये नियम बनाकर शीघ्र लागू करने की विधायक ने की मांग

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह से सौजन्य भेंट कर अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नये नियम बनाकर उन्हे शीघ्र लागू करने आग्रह किया।

▸ भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह से मिले विधायक काश्यप

नवभारत

उन्होने श्री सिंह को विधानसभा में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण संबंधी संशोधन विधेयक पास कराने के लिये धन्यवाद भी ज्ञापित किया । विधायक श्री काश्यप ने बताया कि इस कानून के लागू होने पर अवैध कालोनियों को शुल्क वसूल कर वैध किया जा सकेगा। इनमे निवासरत परिवार अपने मकानों के अवैध निर्माणों को भी वैध करा सकेंगे । श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह को बताया कि मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने पूर्व कार्यकाल में रतलाम से ही अवैध कालोनियों को वैध करनें का शुभारम्भ कर इस कार्य के लिये रतलाम को रोल माडल घोषित किया था ।

विधायक श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह से सीवरेज लाइन डालने के कारण खोदी गई रतलाम नगर की सडको के मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मंत्री श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी ।

विधायक श्री काश्यप ने चर्चा के दौरान मंत्री श्री सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलएस घटक के हितग्राहियो को अनुदान की तीसरी किश्त भी जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया है ।

नव-भारत
12-8-2021

15

कॉलेज अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री को न्यौता...

प्रभात किरण

रतलाम, नप्र। रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल शुरू होना है। अस्पताल उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को न्यौता दिया गया।

नगर विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में मुख्यमंत्री से विधानसभा कक्ष में मुलाकात की। काश्यप ने रतलाम के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करते हुए आमंत्रण पत्र सौंपा। काश्यप ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि अस्पताल का उद्घाटन आपके हाथों हो। विधायक काश्यप ने बताया कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। स्टॉफ की नियुक्तियां हो चुकी है। जरूरी मशीनें और उपकरणों की आपूर्ति भी हो चुकी है। काश्यप ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को बताया कि कोरोना महामारी के संकटकाल में मेडिकल कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल के रूप में अस्थायी रूप से चालू किया गया था।

महामारी दौरान रतलाम जिले के साथ ही आसपास के जिलों धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर के साथ ही नीमच और उज्जैन, इंदौर जिले के कई क्षेत्रों के मरीजों के इलाज में इस अस्पताल की भूमिका रही है। काश्यप ने मुख्यमंत्री से अक्टूबर माह के पहले अथवा दूसरे हफ्ते में उद्घाटन के लिए समय देने का अनुरोध किया है।

प्रभात किरण 11-8-21

नगर की क्षतिग्रस्त सड़कें शीघ्र होंगी दुरूस्त

सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु प्रथम चरण में 22 कार्यों की निविदा तैयार

उपकार

रतलाम। विधायक रतलाम शहर चेतन्य काश्यप द्वारा निगम आयुक्त व निगम इंजीनियरों के साथ आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा मूलभूत अधोसंरचना की आवश्यकताओं की उपलब्धता के संबंध में नगर के विभिन्न क्षेत्रों के किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्याओं के तहत दिये गये निर्देशों के तहत निगम द्वारा अत्यावश्यक कार्यों के तहत प्रथम चरण में 22 स्थानों पर सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निविदा तैयार की गई।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि विधायक श्री काश्यप द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निगम के इंजीनियरों द्वारा वार्डवार तैयार किये गये प्राक्कलनों में से अत्यावश्यक कार्यों को चिन्हित कर प्रथम चरण में 22 स्थानों पर कार्य कराये जाने हेतु 6 करोड़ 91 लाख 50 लाख की निविदा तैयार की गई है जिसे शीघ्र जारी किया जायेगा।

उपकार

(23)

जिले में 20 अगस्त की प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 20 अगस्त की प्रात: 6.00 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावित रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी।

नव भारत

क्षतिग्रस्त सड़कें होंगी दुरूस्त

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप द्वारा निगम आयुक्त व निगम इंजीनियरों के साथ आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा मूलभूत अधोसंरचना की आवश्यकताओं की उपलब्धता के संबंध मे नगर के विभिन्न क्षेत्रों के किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्याओं के तहत दिये गये निर्देशों के तहत निगम द्वारा अत्यावश्यक कार्यों के तहत प्रथम चरण में 22 स्थानों पर सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निविदा तैयार की गई। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि श्री काश्यप द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निगम के इंजीनियरों द्वारा वार्डवार तैयार किये गये प्राक्कलनों में से अत्यावश्यक कार्यों को चिन्हित कर प्रथम चरण में 22 स्थानों पर कार्य कराये जाने हेतु 6 करोड 91 लाख 50 लाख की निविदा तैयार की गई है जिसे शीघ्र जारी किया जायेगा। नव भारत

12 8 2021

(21)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रतलाम शहर क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम शहर अभिषेक गेहलोत ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम शहर की राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । थाना प्रभारी स्टेशन रोड रतलाम के प्रतिवेदन अनुसार 13 अगस्त को उल्लेखित राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि थाना प्रभारी स्टेशन रोड, रतलाम के प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त विभिन्न सूत्रों, मुखबिर सूचना तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे - व्हाट्सअप, फेसबुक आदि के माध्यम से यह जानकारी संज्ञान मे आई है कि थाना औ.क्षे. जावरा जिला रतलाम में पंजीबद्ध अपराध मे राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष का नाम आने और आरोपी बनाये जाने से राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। इनके द्वारा उसका नाम वापस लेने तथा इस मामले में उच्च स्तरीय- जांच की मांग आदि मांगों को लेकर 13अगस्त 2021को करणी सेना द्वारा रतलाम शहर में बडी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किये जाने की संभावना हैं। वर्तमान में कोरोना गाईड लाईन भी प्रभावी हैं एवं आदेशानुसार इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं। अतः कार्यक्रम के संबंध में अग्रिम कार्यवाही एवं उचित आदेश एवं इस संबंध मे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। कोविड बीमारी को डब्ल्यू एच ओ द्वारा वैश्विक महामारी के रूप मे चिहिन्त किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रमण रोग घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रतलाम के प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र मे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 दिनांक 10.08.2021 से दिनांक 20.08.2021इको प्रात- 06¬00 बजे तक प्रभावशील की गई है। उपखण्ड रतलाम (शहर) मे आम जन के स्वास्थ एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु श्री अभिषेक गेहलोत, अनुविभागीय दण्डाधिकारी रतलाम (शहर) तहसील एवं जिला रतलाम (म.प्र) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए अनुभाग रतलाम, (शहर) की राजस्व सीमा क्षेत्र में आदेश जारी दिनांक से आगामी 02 माह तक की अवधि के लिये प्रतिब्रंधात्मक आदेश जारी किया गया है कि थाना प्रभारी स्टेशन रोड, रतलाम के प्रतिवेदन अनुसार 13.अगस्त 2021 को उल्लेखित राष्ट्रीय करणी सेना के द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन तथा अन्य कार्यक्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन होने पर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन्दौर समाचार
12 8 2021

5

आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से विधायक काश्यप ने मुलाक़ात की

अवैध कॉलोनियों को शुल्क वसूल कर अब वैध किया जा सकेगा

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क 12-8-21

विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह से सौजन्य भेंट कर अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नये नियम बनाकर उन्हे शीघ्र लागू करने आग्रह किया। उन्होने श्री सिंह को विधानसभा में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण संबंधी संशोधन विधेयक पास कराने के लिये धन्यवाद भी ज्ञापित किया। विधायक श्री काश्यप ने बताया कि इस कानून के लागू होने पर अवैध कालोनियों को शुल्क वसूल कर वैध किया जा सकेगा। इनमे निवासरत परिवार अपने मकानों के अवैध निर्माणों को भी वैध करा सकेंग। श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह को बताया कि मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने पूर्व कार्यकाल में रतलाम से ही अवैध कालोनियों को वैध करनें का शुभारम्भ कर इस कार्य के लिये रतलाम को रोल माडल घोषित किया था। विधायक श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह से सीवरेज लाइन डालने के कारण खोदी गई रतलाम नगर की सडको के मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मंत्री श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक श्री काश्यप ने चर्चा के दौरान मंत्री श्री सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलएस घटक के हितग्राहियो को अनुदान की तीसरी किश्त भी जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया है।

राजएक्सप्रेस
12-8-2021

नगर की क्षतिग्रस्त सड़कें शीघ्र होंगी दुरूस्त

सड़कों के मरम्मत कार्य हेतु प्रथम चरण में 22 कार्यों की निविदा तैयार

रतलाम। विधायक रतलाम शहर चेतन्य काश्यप द्वारा निगम आयुक्त व निगम इंजीनियरों के साथ आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा मूलभूत अधोसंरचना की आवश्यकताओं की उपलब्धता के संबंध में नगर के विभिन्न क्षेत्रों के किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई समस्याओं के तहत दिये गये निर्देशों के तहत निगम द्वारा अत्यावश्यक कार्यों के तहत प्रथम चरण में 22 स्थानों पर सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निविदा तैयार की गई।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि विधायक श्री काश्यप द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निगम के इंजीनियरों द्वारा वार्डवार तैयार किये गये प्राक्कलनों में से अत्यावश्यक कार्यों को चिन्हित कर प्रथम चरण में 22 स्थानों पर कार्य कराये जाने हेतु 6 करोड़ 91 लाख 50 लाख की निविदा तैयार की गई है जिसे शीघ्र जारी किया जायेगा।

साप्ताहिक उपदेश
12-8-2021

नगर की क्षतिग्रस्त सड़कें शीघ्र होंगी दुरूस्त

रतलाम ● निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि विधायक चेतन काश्यप द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण, सड़क सीमेन्टीकरण, पेवर ब्लॉक, नाली, क्रॉस ड्रेन निर्माण हेतु निगम के इंजीनियरों द्वारा वार्डवार तैयार किए गए प्राक्कलनों में से अत्यावश्यक कार्यों को चिन्हित कर प्रथम चरण में 22 स्थानों पर कार्य कराये जाने हेतु 6 करोड़ 91 लाख 50 लाख की निविदा तैयार की गई है जिसे शीघ्र जारी किया जाएगा।

12-8-21

(6)

डोर-टू-डोर सर्वे से देवास बना 100% वैक्सीनेशन वाला प्रदेश का पहला शहर

भोपाल | देवास प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है, जहां शत-प्रतिशत लोगों को कोरोना वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग गया है। नगरीय क्षेत्र की पूरी आबादी 2.21 लाख का वैक्सीनेशन हो गया है। आबादी के हिसाब से देवास में 2.21 लाख का लक्ष्य रखा गया था। अब तक पहला और दूसरा डोज मिलाकर वहां 2,73,803 लोगों को वैक्सीन के डोज लग गए हैं। 52 हजार से ज्यादा को दोनों डोज लग चुके हैं। लक्ष्य को पाने के लिए शहर के 45 वार्डों में 40 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे। इसमें करीब एक हजार लोगों की टीम लगाई गई थी। देवास में लक्ष्य पाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे किया गया था। इसमें लोगों के मन से वैक्सीनेशन को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन के लिए देवास नगर निगम को बधाई दी है।

12-8-2021

सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के लिए करना होगा इंतजार

वित्त मंत्री ने कहा कि भत्ते के संबंध में तिथि बताना संभव नहीं

भोपाल, (विसं)। प्रदेश में महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे शासकीय कर्मचारियों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संसाधन के आधार पर ही इस पर निर्णय होगा।

मंगलवार को सदन में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे के एक लिखित प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर यह निर्णय लेता है। इस कारण महंगाई भत्ते के संबंध में अभी तिथि बताना संभव नहीं है। सुखदेव पांसे ने सवाल किया था कि 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सरकार कब तक प्रदान करेगी। इसकी तिथि बताई जानी चाहिए। तब वित्त मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। इधर विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने एक लिखित प्रश्न के माध्यम से सरकार से जानना चाहा है कि आखिर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमित पदों पर नियुक्ति संबंधी नीति निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। विधायक ने यह भी जानना चाहा है कि 5 जुलाई 2018 को इससे संबंधित आदेश भी जारी हुए थे। इस संबंध में सरकार का कहना है कि इस मामले में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय हिन्दी मेल

12-8-2021

(2)

कार्रवाई • निगम ने दिसंबर 2020 में भोपाल की द रिनाउंसर कंपनी को दिया था वर्क ऑर्डर

143 में से 100 वाहनों पर लगाए जीपीएस, ठेका रद्द

नोटिस का जवाब दिया, न व्यवस्थाएं सुधारी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगर निगम ने वाहनों पर जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) लगाने वाली भोपाल की द रिनाउंसर कंपनी का ठेका रद्द कर दिया है। कंपनी को दिसंबर 2020 में 20 लाख 800 रुपए में तीन साल के लिए जीपीएस लगाकर उसका संचालन और रखरखाव का ऑर्डर दिया था। अगस्त तक के आठ माह में कंपनी सिर्फ 100 वाहनों में ही जीपीएस लगा पाई है। इनमें भी कई खराब हो गए हैं।

इतना ही नहीं कंपनी को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के चालक और सहयोगी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस चालू करना थी, वह अब तक नहीं हो पाई है। कंपनी को टोल फ्री नंबर भी शुरू करना था। उसे लगा तो दिया लेकिन प्रचार-प्रसार नहीं किया। यह सीधे तौर पर टेंडर की शर्तों का उल्लंघन है। लापरवाही पाए जाने पर 13 जुलाई को निगम ने टेंडर निरस्त करने का नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके कंपनी ने न तो काम किया, न जवाब दिया। इस पर मंगलवार को आयुक्त सोमनाथ झारिया ने टेंडर निरस्त कर दिया है।

ठेकेदार ने कोशिश की लेकिन नहीं बनी बात : नोटिस मिलने के बाद ठेकेदार कंपनी के मनोज त्यागी ने कमिश्नर और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिलकर मामला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। कमिश्नर ने कलेक्टर के पास भेज दिया तो कलेक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, शर्तों के अनुसार काम करो। इसके बाद भी त्यागी निगमकर्मियों से मिलता रहा लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया।

नगर निगम के वाहनों पर जीपीएस की स्थिति

वाहन	कुल	जीपीएस नहीं	वाहन	कुल	जीपीएस नहीं
कचरा कलेक्शन	87	25	जेसीबी	5	1
ट्रैक्टर	9	8	स्कॉय लिफ्ट	2	-
लोडिंग वाहन मैजिक	9	2	फायर लॉरी	5	1
इनोवा	2	2	क्विक रिस्पांस व्हीकल	1	-
टाटा सफारी	1	1	सक्शन कम जेटिंग	2	1
स्कार्पियो	3	-	शव वाहन	1	-
बोलेरो	2	-	कॉम्पैक्टर	2	-
डिजायर	1	-	रोड रोलर	1	1
लोडिंग कम पैसेंजर	2	-	पोकलेन मशीन	1	1
डंपर	7	-			

दै० भास्कर

12-8-2021

(17)

मध्य प्रदेश में बिना अनुमति कालोनी बनाने पर तीन साल की सजा, जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश में बनी अवैध कॉलोनी और निर्माण के नियमितीकरण का रास्ता अब साफ हो गया है। विधानसभा में मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया, जो बिना चर्चा पारित हो गया।

इसमें सरकार ने तय सीमा से तीस फीसद अधिक आवास निर्माण को शुल्क लेकर नियमित करने का प्रविधान किया है। वहीं, अवैध कॉलोनियों को नियमित करके वहां विकास कार्य कराए जाएंगे। बिना अनुमति कॉलोनी बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कम से कम तीन साल का कारावास और 10 लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। जिस अधिकारी के क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनेंगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

सिम्मत्र सिद्धामटाइम्स

अपना समग्र आईडी और आधार कार्ड लेकर आयुष्मान कार्ड आज ही बनवाएं

रतलाम। आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में पॉच लाख रूपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। कार्डधारी परिवार के सदस्य चिन्हित निजी और शासकीय अस्पतालों में उपस्थित होकर कार्ड दिखाकर निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण 2011 के आधार पर श्रेणी 1 से 7 (डी 6 श्रेणी को छोड़कर) परिवार के सदस्य, संबल योजना के पात्र हितग्राही, खाद्यान्न पर्चीधारक परिवार के सदस्यों को पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। सभी पात्र हितग्रहियों को निःशुल्क कार्ड प्रदान करने के लिए आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तरीय शिविर आयोजित कर कार्ड बनाए जा रहे हैं। हितग्राही अपना समग्र आईडी और आधार कार्ड नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के पास ले जाकर पात्र होने की दशा में कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 अथवा 18002332085 पर संपर्क किया जा सकता है।

सिद्धाम टाइम्स

सिद्धामटाइम्स
11-8-21

(5)

वेल्डर भूपेन्द्रसिंह चौहान निलंबित

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम कर्मशाला विभाग के वेल्डर भूपेन्द्रसिंह चौहान द्वारा बिना अवकाश लिये नगर निगम से अनुपस्थित रहने व मोबाईल बंद रखने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

राज

राजएक्सप्रेस
12-8-2021

दो उपयंत्री, एक स्थायीकर्मी का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम ● शहर की विभिन्न सड़कों को दुरूस्त करवाए जाने के प्राक्कलन तैयार कर अतिशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा व अनवर कुरैशी को निर्देशित किए जाने के बाद भी प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं करने व मोबाइल पर संपर्क करने पर मोबाइल बंद पाए जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर 24 घन्टे में स्पष्टिकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कचरे के ढेर व गंदगी पाए जाने पर वार्ड प्रभारी देवेन्द्र राजावत का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किए जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

दैनिक 21

12-8-2021

उपयंत्री मिश्रा, कुरैशी व एक स्थायीकर्मी का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर की विभिन्न सड़कों को दुरूस्त करवाये जाने के प्राक्कलन तैयार कर अतिशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा व अनवर कुरेशी को निर्देशित किये जाने के बाद भी प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं करने व मोबाईल पर संपर्क करने पर मोबाईल बंद पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर 24 घन्टे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कचरे के ढेर व गंदगी पाये जाने पर वार्ड प्रभारी देवेन्द्र राजावत का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

इन्दौर समाचार
12-8-2021

(11)

सड़कें बेहाल • जहां चूरी-मुरम डाली वो उखड़ी, 5 साल से कई सड़कों पर सिर्फ पेचवर्क

अभी मुरम और चूरी से पड़ेगा पाला, अक्टूबर से लेंगे सड़कों की सुध

शहर की 22 सड़कों के टेंडर एक-दो दिन में

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहरवासियों के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर से हमारे शहर की सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए काम तेज हो गया है। 22 सड़कों के टेंडर एक-दो दिन में जारी भी हो जाएंगे। कुल 72 सड़कों के टेंडर निकलना है, बचे हुए का काम भी जल्द पूरा होगा। 1 अक्टूबर से ही सड़कों को नए सिरे से बनाने की शुरुआत हो जाएगी।

लगातार बारिश ने हमारे शहर की सूरत बदल दी है। बारिश का दौर अब थम गया है, एक तरफ हरियाली से खूबसूरती है, तो वहीं, दूसरी तरफ खराब सड़कों का दाग भी लगा है। खास बात तो ये है कि 25 दिन पहले ही सड़कों के हाल सुधारे थे, लेकिन अब जहां चूरी-मूरम डाली थी, वह ज्यादातर गड्ढों के बाहर आ गई है। दो बत्ती, डाट की पुल, फ्रीगंज तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां 5 साल से एक ही जगह कभी पेचवर्क तो कभी चूरी मुरम डाली जाती है। नई सड़क बनने के कारण अभी दो बत्ती चौराहे का हाल भी नहीं सुधर सका है। इधर, इन परेशानियों से अब जल्द ही निजात मिल जाएगी। सड़कों को नए सिरे से बनाने को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी लगातार सक्रिय बने हुए हैं।

अभी ऐसा है हमारी शहर की सड़कों का हाल...

कहीं पर भी गड्ढा आ सकता है

स्थान : डाट की पुल

स्थिति : यह डाट की पुल क्षेत्र का हाल है। यहां सड़क ढूंढना किसी चुनौती से कम नहीं है। जुलाई महीने में ही यहां पेचवर्क किया गया था लेकिन, मुरम भी बह निकली है। नतीजा ये है कि वाहन चालक को खुद ही संभलकर चलना पड़ रहा है। वाहन फिसलने के मामले भी सामने आ रहे हैं।

फोरलेन का काम पूरा नहीं कर सके

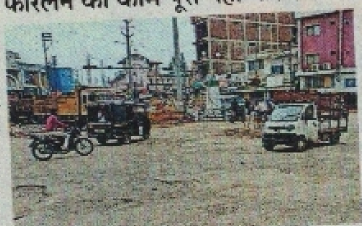

स्थान : दो बत्ती

स्थिति - यह शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे में शामिल है। यहां फोरलेन बनाया जा रहा है लेकिन बारिश से पहले दो बत्ती सर्किल के आसपास का काम पूरा ही नहीं हुआ। नतीजा ये है कि एक रोड बंद है, वहीं सर्किल के आसपास अब रोड ही नहीं बची है। लोग खूब परेशान हैं।

रोडमैप को मंजूरी, 126 करोड़ रुपए का खर्च

रतलाम में 4 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आए थे। उन्होंने 5 साल के रोडमैप को मंजूरी दे दी थी। सिटी रिंग रोड, आंतरिक सड़कों सहित 166.78 किमी लंबे रोड नेटवर्क को सुधारा जाएगा। इसमें 126.53 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 7 प्रमुख सड़कों को फोरलेन जितना चौड़ा बनाया जाएगा। वहीं 20 संकरी पुलिया को भी चौड़ा कर नए सिरे से बनाएंगे।

सीवरेज की खुदाई... वाहन चलाने के लिए एक पट्टी

ये तस्वीर शास्त्री नगर की है। सीवरेज की खुदाई के बाद सड़क कुछ इस तरह की हो चुकी है। इधर, शास्त्री नगर में ही निजी अस्पताल के बाहर सड़क का हाल खराब है, जबकि यहां से कई लोग गुजरते हैं।

जल्द हालात सुधरेंगे : शहर की सड़कों की हालात जल्द से जल्द सुधरेगी। एक दो दिन में ही 22 किमी सड़क के लिए टेंडर जारी हो रहे हैं। अक्टूबर से काम भी शुरू कर दिया जाएगा। **कुमार पुरुषोत्तम**, कलेक्टर, रतलाम

12-8-2021

20

एलायजा टेस्ट की 14 रिपोर्ट में एक को दोबारा डेंगू निकला

डेंगू की रोकथाम के लिए फागिंग करते हुए निगम का अमला। ●नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला अस्पताल की पैथालाजी से बुधवार को डेंगू जांच की एलायजा टेस्ट की 14 रिपोर्ट में एक मरीज को दोबारा डेंगू निकला है, हालांकि नया मरीज नहीं मिलने से स्वास्थ्य विभाग को थोड़ी राहत मिली। वहीं शहर के 1253 घरों में सर्वे के दौरान 13 सामान्य बुखार के मरीज मिले, जिन्हें उपचार दिया गया। इसके साथ सर्वे के दौरान तीन डेंगू के ऐसे मरीज मिले हैं, जो अब स्वस्थ हैं।

एक मरीज निराला नगर और दो नया गांव के हैं। ये तीनों निजी अस्पताल में उपचार लेकर स्वस्थ्य हुए हैं। 21 दलों ने घर-घर जाकर सर्वे किया और होम्योपैथी दवा वितरण के साथ 17 घरों में लार्वा मिला जिसे नष्ट कराया। फागिंग भी लगातार हो रही है। एंटीग्रेटर एप्रोच से डेंगू पर नियंत्रण किया जा रहा है। इस साल जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या पिछले साल की तुलना में तीन गुना हो गई है। बुधवार को स्वस्थ्य होने के बाद पकड़ में आए डेंगू के तीन मरीजों को जोड़ने के बाद 102 में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही संदिग्धों व किट जांच में डेंगू पाजिटिव आने वाले मरीजों को जोड़ दें तो आंकड़ा 150 के करीब पहुंच गया है।

जिला मलेरिया अधिकारी डा. प्रमोद प्रजापति ने बताया कि बुधवार को नए मरीज नहीं मिले हैं। हमारा सर्वे नियमित चल रहा है।

आज 58 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन

रतलाम। शहर में गुरुवार को आइएमए हाल राजेंद्रनगर पर को-वैक्सीन का व अलकापुरी कम्युनिटी हाल और काश्यप सभागृह सागोद रोड रतलाम पर कोविशील्ड का केवल दूसरा डोज लगाया जाएगा। रतलाम के न्यू कलेक्टोरेट केंद्र पर विदेश यात्रा करने वाले एवं शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहर के जमातखाना शेरानीपुरा केंद्र पर कोवीशिल्ड के पहले डो का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सैलाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इंद्रावल खुर्द, सालरापाड़ा, सेरा, लुणी, सांसर, उंडेर, अमरगढ़ में जबकि रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के करमदी, सिनोद, भदवासा, अंबोदिया, रघुनाथगढ़, सूजलाना, रामपुरिया बांगरोद, जुलवानिया, रेवड़िया में वैक्सीनेशन किया जाएगा।

नई दुनिया
12-8-2021

(8)

अवैध कॉलोनीः नियमितीकरण के नए नियम बनाकर लागू करें

विधायक ने नगरीय विकास मंत्री से की मुलाकात

मंत्री सिंह से अवैध कॉलोनियों पर चर्चा करते विधायक काश्यप।

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नए नियम बनाकर उन्हें शीघ्र लागू करने से हजारों परिवारों को फायदा होगा। यह बात विधायक चेतन्य काश्यप ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर कही। अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण संबंधी संशोधन विधेयक पास कराने पर धन्यवाद देते हुए विधायक ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को बताया।

कानून के लागू होने पर अवैध कॉलोनियों को शुल्क वसूल कर वैध कर सकेंगे। वहीं निवासरत परिवार मकानों के अवैध निर्माणों को भी वैध करा सकेंगे। विधायक काश्यप ने पूर्व कार्यकाल में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा अवैध कालोनियों को वैध करने का शुभारंभ करके रोल मॉडल घोषित करने की जानकारी भी दी। चर्चा के दौरान विधायक काश्यप ने मंत्री सिंह से सीवरेज लाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। इस पर मंत्री सिंह ने जल्द ही आवश्यक बजट देने का आश्वासन दिया। विधायक काश्यप ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलएस घटक के हितग्राहियों को अनुदान की तीसरी किस्त भी जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया है।

दै. भास्कर 12-8-2021

नियमितीकरण के नए नियम बनाकर शीघ्र लागू किए जाएं

नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा करते हुए रतलाम के विधायक चेतन्य काश्यप। ●नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से सौजन्य भेंट कर अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नए नियम बनाकर उन्हें शीघ्र लागू करने आग्रह किया। उन्होंने सिंह को विधानसभा में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण संबंधी संशोधन विधेयक पास कराने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। विधायक ने बताया कि इस कानून के लागू होने पर अवैध कालोनियों को शुल्क वसूल कर वैध किया जा सकेगा। इनमें निवासरत परिवार अपने मकानों के अवैध निर्माणों को भी वैध करा सकेंगे।

काश्यप ने मंत्री सिंह को बताया कि मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने पूर्व कार्यकाल में रतलाम से ही अवैध कालोनियों को वैध करने का शुभारंभ कर इस कार्य के लिए रतलाम को रोल माडल घोषित किया था। विधायक ने मंत्री सिंह से सीवरेज लाइन डालने के कारण खोदी गई रतलाम नगर की सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मंत्री सिंह ने आश्वस्त किया कि धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक ने चर्चा के दौरान मंत्री सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलएस घटक के हितग्राहियों को अनुदान की तीसरी किस्त भी जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया।

नईदुनिया 12-8-2021

संशोधन विधेयक पारित कराने के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया

अवैध कालोनियों के नियमितीकरण के नये नियम बनाकर शीघ्र लागू करे : काश्यप

भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से की मुलाकात

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह से सौजन्य भेंट कर अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नये नियम बनाकर उन्हे शीघ्र लागू करने आग्रह किया। उन्होने श्री सिंह को विधानसभा में अवैध कालोनियों के नियमितिकरण संबंधी संशोधन विधेयक पास कराने के लिये धन्यवाद भी ज्ञापित किया। विधायक श्री काश्यप ने बताया कि इस कानून के लागू होने पर अवैध कालोनियों को शुल्क वसूल कर वैध किया जा सकेगा। इनमें निवासरत परिवार अपने मकानों के अवैध निर्माणों को भी वैध करा सकेंगे। श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह को बताया कि मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने पूर्व कार्यकाल में रतलाम से ही अवैध कालोनियों को वैध करनें का शुभारम्भ कर इस कार्य के लिये रतलाम को रोल माडल घोषित किया था। विधायक श्री काश्यप ने मंत्री श्री सिंह से सीवरेज लाइन डालने के कारण खोदी गई रतलाम नगर की सडको के मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। मंत्री श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक श्री काश्यप ने चर्चा के दौरान मंत्री श्री सिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलएस घटक के हितग्राहियो को अनुदान की तीसरी किशत भी जल्द से जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया है।

दै. इन्दौर समाचार 12-8-2021

22

अपना समग्र आईडी और आधार कार्ड लेकर आयुष्मान कार्ड आज ही बनवाएं

रतलाम। आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में पॉच लाख रूपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। कार्डधारी परिवार के सदस्य चिन्हित निजी और शासकीय अस्पतालों में उपस्थित होकर कार्ड दिखाकर निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण 2011 के आधार पर श्रेणी 1 से 7 (डी 6 श्रेणी को छोडकर) परिवार के सदस्य, संबल योजना के पात्र हितग्राही, खाद्यान्न पर्चीधारक परिवार के सदस्यों को पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। सभी पात्र हितग्रहियों को निःशुल्क कार्ड प्रदान करने के लिए आपके द्वार आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तरीय शिविर आयोजित कर कार्ड बनाए जा रहे हैं। हितग्राही अपना समग्र आईडी और आधार कार्ड नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के पास ले जाकर पात्र होने की दशा में कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 अथवा 18002332085 पर संपर्क किया जा सकता है।

12-8-2021

अस्थाई पात्रता पर्ची अब 31 अगस्त तक दस्तावेज जमा होंगे

रतलाम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इस समयावधि में वृद्धि करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।

12-8-2021

मेगा जाब फेयर आज, निशुल्क बस सुविधा भी

30 कंपनियां 900 पदों के लिए करेंगी युवाओं का चयन

रतलाम। शहर में 12 अगस्त को मेगा जाब फेयर योगेंद्र सागर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस महू-नीमच रोड धराड़ पर होगा। जाब फेयर कैंपस प्लेसमेंट सिलेक्शन की तर्ज पर होगा। 30 कंपनियां लगभग 900 पदों के लिए युवाओं का चयन करेंगी।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ट्रेनी असिस्टेंट, सुरक्षा गार्ड, टेक्नीशियन, सेल्समैन, आपरेटर, ग्रुप लीडर, हेल्पर, लैब असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव आदि पदों पर भर्ती की जाएगी।

जाब फेयर में धूत ट्रांसमिशन, टेक्नोक्लीन एयर इंडिया, एवर्टेक, मिंडा कारपोरेशन, पालीबान्ड, इंडस, केप्को, रैड स्टैंड, पीएनबी, आइशर, मदरसन, प्रतिभा सिंटेक्स, नवशक्ति पीथमपुर मेटल पावर, पोरवाल इंडस्ट्रीज, अजमेरा स्टील, मोहन फूड, अग्रवाल इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, चंद्रा मोटर्स, श्री स्टील, टाइगर सिक्योरिटी, राज कंसलटेंसी जैसी कंपनियां शामिल होने जा रही हैं।

रोंजगार के लिए योग्यता

बेरोजगार आवेदक जो कक्षा पांचवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक, आइटीआइ उत्तीर्ण हैं। आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य और जिले तथा जिले से बाहर कार्य करने के इच्छुक हैं वे प्रात: 10:30 बजे योगेंद्र सागर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी पर उपस्थित रह सकते हैं।

युवाओं को लाने-ले-जाने के लिए बस सुविधा

जाब फेयर स्थल पर बेरोजगार युवाओं को लाने-ले-जाने के लिए प्रशासन द्वारा बस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आइटीआइ प्राचार्य यूपी अहिरवार ने बताया कि गुरुवार को प्रात: 10.00 बजे से आइटीआइ परिसर रतलाम से बस सुविधा उपलब्ध रहेगी।

नई दुनिया
12-8-2021

(18)

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को

रतलाम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 11 सितम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जावेगा। उक्त नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु विशेष न्यायाधीश/प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री डी.एस. चौहान की अध्यक्षता में 11 अगस्त को न्यायाधीशगणों की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ ही सचिव/अपर जिला न्यायाधीश अरूण श्रीवास्तव द्वारा 12 अगस्त को बीमा कंपनी एवं अधिवक्तागणों, 13 अगस्त को म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों तथा 16 अगस्त को समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठके ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर रतलाम में आहूत की गई है।

4
इन्दौर समाचार
12-8-21

(7)

निगम आयुक्त झारिया ने निगम अधिकारियों की ली बैठक

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाये जाने के संबंध में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निगम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के ऐसे 68 पात्र हितग्राही जिनका जियो टेगिंग पूर्ण हो चुका है तथा उन्हे प्रथम किश्त का भुगतान किया जाना है कि फाईले कल तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि परसों तक हितग्राहियों को भुगतान किया जा सकें। उन्होने निर्देशित किया कि सभी पात्र हितग्राहियों का जियो ट्रेकिंग 5 दिवस में पूर्ण करें इस हेतु 15 कर्मचारियों की टीम लगाई जाये।

आयोजित बैठक में बताया गया की डीपीआर 4 के अतिरिक्त 1200 हितग्राही जिनके समय-समय पर आवेदन प्राप्त हुए है उनकी सूची तैयार कर ली गई है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि 3 दिवस के अन्दर हितग्राहियों का ऐजिस टीम के हेड श्री सलीम खान, श्री सचिन आनन्द व नगर निगम के इंजीनियर जियों टेगिंग का कार्य पूर्ण करें व सर्वेक्षित हितग्रहियों के दस्तावेजीकरण हेतु दस्तावेज एकत्रित करें।

सिंघम सिंघम टाइम्स

सिंघमटाईम्स
11-8-2021

(12)

मुख्यमंत्री को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए रतलाम आने का आमंत्रण

विधायक काश्यप ने विधानसभा में भेंटकर सौंपा आमंत्रण पत्र

सिंघम रिपोर्टर ■ रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से भेंट कर उन्हें रतलाम के मेडिकल कालेज में अस्पताल का उदघाटन करने हेतु आमंत्रित किया । विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में श्री चौहान को सौंपे आमंत्रण पत्र में श्री काश्यप ने आग्रह किया कि आम जनता और भाजपा कार्य कर्ताओ की इच्छा है कि अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्रीजी के हाथों हो। विधायक काश्यप ने बताया कि रतलाम के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। स्टॉफ की नियुक्तियां हो चुकी है । आवश्यक मशीने और उपकरणों की आपूर्ति भी हो चुकी है ।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि कोरोना महामारी के संकटकाल में मेडिकल कॉलेज में कोविड हॉस्पिटल के रूप में अस्थायी रूप से चालू किया गया था। महामारी के दौरान रतलाम जिले के साथ ही आसपास के जिलों धार झाबुआ अलीराजपुर, मंदसौर नीमच के अलावा उज्जैन इंदौर जिले के कई क्षेत्रों के मरीजों के इलाज में इस अस्पताल की इलाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्री काश्यप ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे अक्टूबर माह के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में उदघाटन के लिये समय देने का अनुग्रह करें।

सिंघम टाइम्स

सिंघमटाईम्स 11-8-21

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से मुलाकात

वैध कालोनियों के नियमितीकरण के नए नियम बनाकर लागू करें

पत्रिका

रतलाम. शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह से बुधवार को सौजन्य भेंट कर अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के लिए नये नियम बनाकर उन्हे शीघ्र लागू करने आग्रह किया।

विधायक काश्यप ने बताया कि इस कानून के लागू होने पर अवैध कालोनियों को शुल्क वसूल कर वैध किया जा सकेगा। इनमे निवासरत परिवार अपने मकानों के अवैध निर्माणों को भी वैध करा सिंह को बताया कि मुख्यमन्त्री शिवराजसिंह चौहान ने अपने पूर्व कार्यकाल में रतलाम से ही अवैध कालोनियों को वैध करनें का शुभारम्भ कर इस कार्य के लिये रतलाम को रोल माडल घोषित किया था। मंत्री सिंह से सीवरेज लाइन डालने के कारण खोदी गई नगर की सडको के मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया। विधायक काश्यप ने चर्चा के दौरान मंत्री सिंह से तीसरी किश्त भी जल्द से जल्द मुहैया

4/8/21

अस्थाई पात्रता पर्ची के लिए अब 31 अगस्त तक जमा होंगे दस्तावेज

रतलाम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी।

नवभारत

नव-भारत 12-8-2021

(14)

फुटपाथ केवल राहगीरों के उपयोग के लिए है, सामग्री राजसात की जाएगी-निगमायुक्त

12-8-21

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम में इन दिनों टू-लेन और फोरलेन का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन निर्माणाधीन सड़कों और फुटपाथ पर लोगों ने व्यवसायिक उद्देश्य की दृष्टि से या तो दुकान आगे बढ़ा ली है या उनका उपयोग पार्किंग के रूप में किया जा रहा है, जिसके कारण फुटपाथ और टू-लेन-फोरलेन निर्माण का उपयोग ही समझ से परे है, क्योंकि पैदल चलने वाले भी फुटपाथ पर नहीं चल पाते और ना ही सड़क चौड़ीकरण का कोई लाभ शहर को मिल रहा है।

इस संबंध में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया ने भी निर्देशित किया है कि फोरलेन फुटपाथ केवल राहगीरों के उपयोग के लिए है। उस पर ठेला, वाहन, गुमटी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। आदेश के उल्लंघन पर प्रतिदिन चालान काटा जाए। फुटपाथ से जब्त सामग्री राजसात की जाएगी।

उल्लेखनीय है इस समाचार पत्र ने सड़क अतिक्रमण के खिलाफ लगातार लिखा है और यह भी लिखा है कि कई प्रमुख मौहल्लों और अतिव्यस्त

बाजारों में लोगों ने सड़कों पर ही अपने कारोबार को बढ़ा लिया है और फुटपाथ का उपयोग गैरेज के रूप में कतिपय लोग कर रहे है, जिसके कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। वाहन मालिकों को चाहिए कि वह सड़कों पर अपने चार पहिया वाहन खड़े करने की बजाए गैरेज की व्यवस्था करें, जैसा की कई राज्यों में है। चार पहिया वाहन मालिकों के लिए गैरेज अनिवार्य किया गया है, जब लोग सड़कों का उपयोग पार्किंग अथवा गैरेज के लिए करते है उसके लिए चालानी कार्रवाई की जाती है। ऐसी ही व्यवस्था नगर निगम को भी प्रारंभ करना चाहिए ताकि सड़कों पर बार-बार जाम की स्थिति न बने और सड़क चौड़ीकरण किए जाने का उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके अन्यथा सड़क चौड़ीकरण का फुटपाथ बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।

12-8-21

(3)

2 नईदुनिया
इंदौर, गुरुवार 12 अगस्त, 2021

न्यूज गैलरी

71 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को 71 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर व ट्रैक्टर-ट्राली से 39390, काम्पेक्टर सूखा कचरा 27665, मैजिक से 4565 किलो इस तरह कुल 71620 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

नई दुनिया
12-8-2021

(18)

राजनीतिक आयोजनों में दी भीड़ जुटाने की खुली छूट, आम व्यक्ति के लिए पाबंदिया

जिंदादिल शहर पर फिर थोपा सात घंटे का कर्फ्यू, अपनी नाकामी पर प्रशासन का पर्दा

पत्रिका

पत्रिका बिग इश्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले के कोरोना मुक्त होने के 5 दिन बाद फिर से एक संक्रमित मरीज सामने आने के बाद प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, करीब 7 घंटे तक जिंदादिल शहर की रफ्तार सख्ती से रोकी जाएगी, लेकिन ये सख्ती उस वक्त गायब हो जाती है, जब राजनीतिक और रसूखदारों के आयोजनों में भीड़ जुटाई जाती है। यहां न तो मास्क पर किसी का ध्यान होता है और ना ही सोशल डिस्टेंस, बीते एक माह के दौरान हुए ज्यादातर आयोजनों की तस्वीर यही दर्शाती है, प्रशासन नया केस रोक पाने में अपनी नाकामी को अब नाइट कर्फ्यू का पर्दा ओढ़ा रहा है, ताकि सबकुछ ठीक बता दें।

मंगलवार रात से कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। हर रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों का सड़क पर आना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश 20 अगस्त तक के लिए जारी किया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि को फिर से बढ़ाया जाना बुधवार को दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। इसके साथ ही सभी सामाजिक राजनीतिक और खेलकूद गतिविधियों के साथ मेले से जुड़े आयोजन जिनमें भीड़ एकत्रित होती है, वह फिलहाल प्रतिबंधित ही रहेंगे। स्कूल और कॉलेज के संबंध में पूर्व में जारी किए गए दिशा निर्देश लागू रहेंगे। सिनेमा घर में अब भी 50 प्रतिशत तक ही लोगों को अनुमति जारी की गई है।

पूरी क्षमता से होगा काम

कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत सभी लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म में उद्योग पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकेंगे। निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां भी चलती रहेगी। खेल मैदानों पर अभ्यास के लिए खिलाड़ी आ सकेंगे लेकिन दर्शक शामिल नहीं होंगे। जिम और फिटनेस सेंटर पर क्षमता से आधे लोगों की अनुमति रहेगी। सभी रेस्टोरेंट्स पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे लेकिन रात 10 बजे तक की अनुमति रहेगी।

जांच अनिवार्य

विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की अनुमति रहेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची प्रदाय करना आवश्यक होगा। सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर या आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

प्रोटोकाल का करना होगा पालन

सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे, उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। रुल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सैनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा।

पत्रिका 12-8-2021

50 क्षेत्रों में आज चार घंटे बिजली गुल

रतलाम. नगर पालिका निगम द्वारा गुरुवार को सेंट जोसफ कॉन्वेंट स्कूल से दो बत्ती चौराहा तक फेरलेन व शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण नगर के 50 क्षेत्रों में सुबह 6.30 बजे से 10.30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसके चलते पावर हाउस रोड, शास्त्री नगर, श्रीगुरु तेग बहादुर स्कूल, रतलाम हॉस्पिटल, श्रीराम मेंशन गली, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहा, जेल रोड, सिविल हॉस्पिटल, घोड़ा चौक, जनक हॉस्पिटल, कोर्ट परिसर, जिला पंचायत, छत्रीपुल, फ्रीगंज, दो बत्ती, डाट की पुल, डीआरएम ऑफिस, होटल बालाजी पैलेस, पुलिस लाइन, रोटरी हॉल, अजंता पैलेस, रतलाम प्लाजा, न्यू रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप, एसडीओ बीएसएनएल, सैलाना बस स्टैंड, विशाल मेगा मार्ट, मुख्य डाकघर, बाल चिकित्सालय, गायत्री सिनेमा, लोकेन्द्र टॉकिज चौराहा, दो बत्ती, डाट की पुल, डीआरएम ऑफिस, होटल बालाजी पैलेस, पुलिस लाइन, रोटरी हॉल, अजंता पैलेस, रतलाम प्लाजा, गुरुनानक बेकरी व आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे।

नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को

रतलाम. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के लिए विशेष न्यायाधीश, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष डी.एस. चौहान की अध्यक्षता में 11 अगस्त को न्यायाधीशगणों की बैठक का आयोजन किया गया। सचिव व अपर जिला न्यायाधीश अरूण श्रीवास्तव ने 12 अगस्त को बीमा कंपनी एवं अधिवक्तागणों, 13 अगस्त को मप्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों तथा 16 अगस्त को समस्त बैंक प्रबंधकों की बैठके एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर में आहूत की गई है।

पत्रिका 12-8-21

1

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में करेंगे ध्वजारोहण

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इंदौर में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और ग्वालियर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ध्वजारोहण करके मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। रीवा में ध्वजारोहण विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों और बीस जिलों में कलेक्टरों को अधिकृत किया है।

नई दुनिया

12-8-2021